न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2014/00139

दायरा दिनांक : 09.06.2014

उनवान

1– गीता बाई पुत्री राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
2– जानकी बाई पुत्री राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
3– भंवर सिंह पुत्र राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
4– मांगीलाल पुत्र राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
5– रमेश पुत्र राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
6– श्रीमती सम्पत बाई बेवा चैन सिंह, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां कायम मुकामान मृतक चैन सिंह
7– कोमल सिंह आत्मज स्वर्गीय मदनलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
8– शीला बाई पुत्री स्वर्गीय मदनलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
9– राजन्ती बाई पुत्री स्वर्गीय मदनलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
10– कल्ली बाई बेवा स्वर्गीय मदनलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
11– माधो लाल पुत्र मोहन लाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट्स

बनाम

1– ईश्वर पिसरान प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
2– श्यामलाल पिसरान प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
3– रामपाल पिसरान प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
4– रामलाल पिसरान प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
5– लक्ष्मी नारायण आत्मज हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
6– रामकिशन पिसरान गोरीलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
7– जगन्नाथ पिसरान गोरीलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
8– बबलू आत्मज कल्याण, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
9– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, छबडा, जिला बारां
10– ग्राम पंचायत पाली, तहसील छबडा, जिला बारां जरिये सरपंच

.... रेस्पोडेंट्स

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री साहिब लाल मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 8 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 08.04.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 81/2011/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट व अन्य ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर किया और यह कथन किया कि ग्राम पाली के खाता सं. 33 के खसरा नम्बर 24, 25, 27, 28, 29, 30, 80, 106, 261. 262, 268, 282, 283, 284 कुल किता 14 रकबा 68 बीघा 19 बिस्वा में वादीगण ईश्वर, श्यामलाल, रामलाल, रामपाल आत्मज प्रभूलाल प्रत्येक का हिस्सा 1/12, भंवरसिंह, मांगीलाल, रमेश, चैनसिंह आत्मज रामप्रसाद प्रत्येक का 1/36 हिस्सा, मदनलाल पुत्र मोहनलाल, माधोलाल पुत्र मोहनलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिकिशन

8/4/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, रामसिंह, जगन्नाथ आत्मज गौरीलाल प्रत्येक का 1/18 हिस्सा, बबलू पुत्र कल्याण हिस्सा 1/9 अनुसार विभाजन कराना चाहते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का निस्तारण प्रशासन आपके द्वार अभियान में पक्षकारान की आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात वाके ग्राम पाली का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक निम्न प्रकार विभाजन किया गया। ईश्वर, श्यामलाल, रामलाल, रामपाल आत्मज प्रभूलाल प्रत्येक का हिस्सा 1/12, भंवरसिंह, मांगीलाल, रमेश, चैनसिंह आत्मज रामप्रसाद प्रत्येक का 1/36 हिस्सा, मदनलाल पुत्र मोहनलाल, माधोलाल पुत्र मोहनलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिकिशन प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, रामसिंह, जगन्नाथ आत्मज गौरीलाल प्रत्येक का 1/18 हिस्सा, बबलू पुत्र कल्याण हिस्सा 1/9 अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार छबडा से मंगवाया गया, तहसील छबडा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 24.06.2009 को अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश की अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दोनों अपीले आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.12.2004 एवं आदेश दिनांक 24.06.2009 व अंतिम डिक्री दिनांक 18.09.2009 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज कर प्रकरण में सुनवायी कर निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2013 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजीयात ग्राम पाली का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है –

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
ईश्वर, श्यामलाल, रामलाल, रामपाल आत्मज प्रभूलाल हिस्सा 1/3 बरा., भंवरसिंह, मांगीलाल, रमेश पुत्र रामप्रसाद, गीताबाई, जानकीबाई पुत्रिया रामप्रसाद, सम्पतबाई बेवा चैनसिंह हिस्सा 1/9, कोमल सिंह पुत्र मदनलाल, शीलाबाई, राजन्तीबाई पुत्रियां मदनलाल, कल्लीबाई बेवा मदनलाल हिस्सा 1/9, माधोलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/9, लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिकिशन हिस्सा 1/9, रामसिंह, जगन्नाथ पुत्र गोरीलाल हिस्सा 1/9, बबलू पुत्र कल्याण हिस्सा 1/9, जाति मीणा, सा0 देह	24	3.18
	25	7.06
	27	10.04
	28	15.14
	29	5.06
	30	14.17
	80	0.09
	106	1.01
	261	2.06
	262	0.02
	268	3.04
	282	0.09
	283	2.12
	284	1.11
	किता 14	68.19

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, छबडा को आदेशित किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं न्याय संचिका में निहित तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्भावनावश अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए एक तरफा बहस सुनकर उन्हें लाभान्वित करने की गरज से उनके पक्ष में निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। उक्त प्रकरण में महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु विद्यमान है कि रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 8 (वादीगण) संयुक्त खातेदार टीनेन्ट न होने के बावजूद भी उन्हें सहखातेदार

8/4/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा

मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के स्ट्रेन्जर व्यक्तियों के पक्ष में बंटवारे की डिक्री जारी करने में भारी विधिक भूल की है। जबकि उक्त प्रकरण में अपीलांट कम 1 व 2 गीता व जानकी बाई संयुक्त खातेदार टीनेन्ट है किन्तु दुर्भावनावश बंटवारे की डिक्री में उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया और अनावश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी रेस्पोडेंट स्ट्रेन्जर के पक्ष में बंटवारे की डिक्री जारी करने में भारी विधिक भूल की है। धारा 53 आर0 टी0 एक्ट के तहत राजस्व रेकार्ड में मौजूद खातेदारान ही दावे में आवश्यक पक्षकार होते हैं और उन्हीं के पक्ष में कानूनन डिक्री पारित की जा सकती है। उक्त सारभूत तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पाली द्वारा दुर्भावनावश रेस्पेडेंट के पक्ष में जारी किये गये सजरे में अपीलांट गीता व जानकीबाई का नाम अंकित नहीं किया जिसे ही सही मानकर कानूनी बिन्दुओं का विवेचन न कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2013 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.06.2014 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

अपील संख्या 317/2010 एवं 318/2010 के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा दोनों अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय दिनांक 25.02.2013 को पारित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर पुनः अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा तथ्य वर्णित किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर दिया गया है। हमने इस तथ्य पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलांट्स 3 लगायत 11 की ओर से अभिभाषक के द्वारा दिनांक 30.05.2011 को वकालतनामा पेश किया गया तथा अपीलांट कम 1 लगायत 2 के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 02.11.2011 को रेस्पोडेंट्स द्वारा लगाया गया एक्स पार्टी का प्रार्थना पत्र खारिज कर रजिस्टर्ड ए.डी. से तलबी की गई। दिनांक 02.05.2012 को अपीलांट कम 1 लगायत 2 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

8/4/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अपीलांट को जवाब तथा साक्ष्य पेश करने हेतु भी पर्याप्त अवसर दिये गये।

अपीलांट 1 लगायत 2 को सहखातेदार होने से बंटवारे में उनका हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शामिल कर बंटवारा किया गया है तथा रेस्पोडेंट्स को मृतक खातेदारों के वारिस होने तथा जमाबंदी में नाम दर्ज होने से उन्हें बंटवारे में शामिल कर हिस्सानुसार बंटवारा किया गया है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2013 को पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बिना किसी तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/4/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– गीता बाई पुत्री राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
2– जानकी बाई पुत्री राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
3– भंवर सिंह पुत्र राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
4– मांगीलाल पुत्र राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
5– रमेश पुत्र राम प्रसाद, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
6– श्रीमती सम्पत बाई बेवा चैन सिंह, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां कायम मुकामान मृतक चैन सिंह
7– कोमल सिंह आत्मज स्वर्गीय मदनलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
8– शीला बाई पुत्री स्वर्गीय मदनलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
9– राजन्ती बाई पुत्री स्वर्गीय मदनलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
10– कल्ली बाई बेवा स्वर्गीय मदनलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
11– माधो लाल पुत्र मोहन लाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां

.... **अपीलांट्स**

बनाम

1– ईश्वर पिसरान प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
2– श्यामलाल पिसरान प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
3– रामपाल पिसरान प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
4– रामलाल पिसरान प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
5– लक्ष्मी नारायण आत्मज हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
6– रामकिशन पिसरान गोरीलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
7– जगन्नाथ पिसरान गोरीलाल, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
8– बबलू आत्मज कल्याण, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां
9– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, छबडा, जिला बारां
10– ग्राम पंचायत पाली, तहसील छबडा, जिला बारां जरिये सरपंच

.... **रेस्पोडेंट्स**

अपील नं **2014 / 00139**
मु.द.नं0 **81 / 2011 / दावा**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **25.02.2013**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **26 माह 03** सन् **2024**

श्री **विद्याशंकर गोस्वामी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **साहिब लाल मीणा** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 8 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 25.02.2013 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **08 माह 04 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)